कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः–2340 / 1जी– FP/UK/ROAD/16270/2015 देहरादूनः दिनांकः 09 फरवरी, 2016

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग से लौकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु–0.554 है0 वन भूमि हस्तान्तरण– FP/UK/ROAD/16270/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 2340 / 1जी–FP/UK/ROAD/16270/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. अपर सचिव लोक निर्माण विभाग / पीएमजीएसवाई, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, भिकियासैण।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग से लौकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु–0.554 है0 वन भूमि हस्तान्तरण– FP/UK/ROAD/16270/2015

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु अल्मोड़ा वन प्रभाग में 0.087 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.38 है0 पंचायत वन भूमि अर्थात कुल 0.554 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः
तिथि : 9 / 02 / 2016
स्थान : देहरादून